(भारत के राजपत्र असाधारण, भाग–I, खण्ड I में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
विदेश व्यापार महानिदेशालय
वाणिज्य भवन

सार्वजनिक सूचना सं. 62/2015–2020

नई दिल्ली, दिनांकः 23 मार्च, 2023

विषयः गेहूं के आटे के निर्यात के लिए ङ–136 पर मानक निविष्टि उत्पादन मानदंड (सिओन) की शर्तों में संशोधन के संबंध में।

समय–समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) के पैरा 1.03 और 2.04 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महानिदेशक, विदेश व्यापार एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करते हैं:

1. सार्वजनिक सूचना सं. 38 दिनांक 25.11.2022 में यथा उल्लिखित सिओन ङ–136 के लिए, नोट 2 को निम्नानुसार जोड़ा जाता है:

सिओन	निर्यात मद	मात्रा	आयात मद	मात्रा
ङ.–136	गेहूं का आटा (आटा)	1.00 किलोग्राम	गेहूं	1.07 किलोग्राम

टिप्पणी 2. सिओन ङ–136 में, मदों, जैसे मल्टी ग्रेन आटा या फोर्टिफाइड साबुत गेहूं के आटे को भी नीचे उल्लिखित शर्तों के अधीन निर्यात किए जाने की अनुमति है:

क. निर्यात की जाने वाली वस्तु में कम से कम 80% या अधिक साबुत गेहूं का आटा (आटा) होना चाहिए और उनमें शामिल की जाने वाली अन्य सामग्रियां जैसे सोया आटा, दलिया, मेथी पाउडर, विटामिन आदि को घरेलू रूप से प्राप्त किया जाएगा।

ख. ऐसी निर्यातित मदों यानी मल्टी ग्रेन आटा या फोर्टिफाइड साबुत गेहूं के आटे के लिए अग्रिम प्राधिकार–पत्र के तहत गेहूं की आयात पात्रता, की गणना निर्यात वस्तु में साबुत गेहूं के आटे (आटा) के प्रतिशत के अनुपात में की जाएगी, यानी प्रति 1 किलोग्राम साबुत गेहूं के आटे (आटा) के लिए, 1.07 किलोग्राम गेहूं के आयात की अनुमति होगी।

ग. शिपिंग बिल में निर्यात विवरण स्पष्ट रूप से साबुत गेहूं के आटे की प्रतिशत सामग्री और जोड़े जाने वाले अन्य अवयवों को इंगित करेगा।

इस सार्वजनिक सूचना का प्रभावः

टिप्पणी 2 को सिओन ङ.–136 में जोड़ा गया है ताकि मल्टी ग्रेन आटा या फोर्टिफाइड साबुत गेहूं के आटे के निर्यात की अनुमति दी जा सके। सार्वजनिक सूचना संख्या 38/2015–20 दिनांक 25.11.2022 में यथा उल्लिखित सिओन ङ.–136 के लिए अन्य सभी शर्तें प्रभावी बनी रहेंगी।

संतोष कुमार सारंगी
23.3.2023

(संतोष कुमार सांरगी)
महानिदेशक विदेश व्यापार एवं
पदेन अपर सचिव, भारत सरकार
ई–मेलः dgft@nic.in

(फा. सं. 01/94/180/157/एएम–22/पीसी–4 से जारी)